संख्या- 189 /2015-3193/नौ-5-15-1एनजीआरबीए/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) वाराणसी नगर के सीवरेज एवं नान सीवरेज कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि तथा उक्त के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0-जी-106/022-0301/2015, दिनांक 19.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम" के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) वाराणसी नगर के सीवरेज एवं नान सीवरेज कार्यो हेतु भारत सरकार के आदेश सं0- जे-16011/3/2010-एन0आर0सी0डी0-।।, दिनांक 31.03.2015 द्वारा स्वीकृति की गयी केन्द्रांश की धनराशि 53.50 करोड़ तथा भारत सरकार के आदेश सं0- जे-16011/3/2010-एन0आर0सी0डी0-।।, दिनांक 31.03.2015 द्वारा स्वीकृति की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू0 16.50 करोड़ कुल धनराशि रू0 70.00 करोड़ तथा उक्त के सापेक्ष योजना हेतु निर्धारित राज्यांश की धनराशि रू0 12.3530 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 82.3530 करोड़ वित्तीय वर्ष 2015-2016 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव,/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(2) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नही रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक हैं ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा -निर्देशो के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है ।

go finance manual font

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों /उपक्रमो में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-107-मल-जल सेवायें -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101- नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए (के.70/रा.30) -35-पूजींगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-189/20153193/नौ-5-15-1एनजीआरबीए/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/ वाराणसी ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
8- मुख्य अभियंता (वाराणसी क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
9- वित्त निदेशक/ तकनीकी सलाहाकार, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- नियोजन अनुभाग- 3/4
12- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

go finance.upnsda.com

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-08/06/2015

प्रेषण संख्या:- 189-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-189-2015-3193-9-5-15-1NGRBA-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

107 - मल - जल सेवाएं

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

01 - नेशनल गंगा रिवर बेसिक अथारिटी के अन्तर्गत

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	823530000 823530000	823530000 823530000
	योग	वर्तमान प्रगामी	823530000 823530000	823530000 823530000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बयासी करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयासी करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव